

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(11) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 20.08.24

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त निम्नांकित अधिवक्तागण को उनके नाम के सम्मुख पद से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम
01	निशान्त पाटिल	एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड
02	प्रगति निखरा	एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड


आज्ञा से

६०

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. श्री निशान्त पाटिल, अधिवक्ता को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री उदय सागर शेटी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली को संभलवाकर कार्यमुक्त हों।
16. सुश्री प्रगति निखरा, अधिवक्ता को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री अशोक पाणिग्राही, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली को संभलवाकर कार्यमुक्त हों।
17. श्री उदय सागर शेटी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को प्रेषित कर लेख है कि आप श्री निशान्त पाटिल, अधिवक्ता से उन्हें राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर, इस विभाग को अवगत करावें।
18. श्री अशोक पाणिग्राही, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को प्रेषित कर लेख है कि आप सुश्री प्रगति निखरा, अधिवक्ता से उन्हें राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर, इस विभाग को अवगत करावें।
19. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
20. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
21. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
22. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
23. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा) 20/08/24
विशिष्ट शासन सचिव